न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व दावा संख्या :– 79/20

–: निर्णय :– दिनांक :– 24.08.21

यह अपील इंतकाल सं0 211 के खिलाफ पेश की गई है जिसके द्वारा विवादित आराजी चक 3 एसएसएम ए के मु0नं0 197/28 के किला नं0 18 ता 23 की 6.00 बीघा को रकबा राज घोषित कर दिया गया। उससे पहले यह जमीन अपीलांट तुलछाराम/किशनाराम के नाम बतौर मिडियमपेच अलॉटी दर्ज थी।

अदालत द्वारा प्रकरण पर गौर किया गया एसडीएम खाजूवाला द्वारा निर्णय दिनांक 29.04.14 के जरिए विवादित आराजी की अपीलांट के नाम दर्ज करने का आदेश किया गया था। इसकी पालना में इंतकाल सं0 208 दर्ज किया गया। रेस्पो0 सं0 2 धूड़ाराम/सुरजाराम द्वारा एसडीएम आदेश के खिलाफ माननीय आरएए कोर्ट द्वारा मे अपील की गई। आरएए कोर्ट द्वारा अपील सं0 11/11 और 51/14 में दिनांक 07.11.14 को किए गए फैसले के द्वारा एसडीएम कोर्ट के उपरोक्त फैसले को खारिज कर मामला एसडीएम को रिमांड कर दिया माननीय आएए कोर्ट के फैसले की अनुपालना मे इंतकाल सं0 211 तस्दीक किया गया।

इन तथ्यों के मद्देनजर अपीलांट का यह आक्षेप ससटेंनेबल नही है कि इंतकाल सं0 211 मनमाने तरीके से दर्ज किया गया है।

अदालत का यह भी मानना है कि इंतकाल सं0 211 को इस अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि यह इंतमाल राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के फैसले के तहत दर्ज हुआ है। यदि अपीलांट इस इंतकाल से व्यथित है तो उन्हें माननीय आरएए कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुनने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपील खारिज की जाती है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 14:55:13 IST
Reason: SelfAttested